मंडल कार्यालय आदेश 10/2025

L .N.393-W/M-/Instruction/0/Vol-III Date - 06.05.2025

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक
एवं मुख्य क्रू नियंत्रक, जोधपुर एवं मेडतारोड
समस्त लोको पायलट, लोको पायलट शंटर एवम सहायक लोको पायलट

विषयः- मानसून / वर्षा और **तेज चक्रवात** के मौसम में रखी जाने वाली सावधानियां

मुख्य लोको निरीक्षकों को निर्देश दिए जाते हैं कि अपने नामित व अन्य रनिंग स्टाफ को मानसून / वर्षा के मौसम में सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए निम्न मदों पर काउंसलिंग कर मंडल कार्यालय में रिपोर्ट जमा करवाएं।

1. लोको पायलट/सहा. लोको पायलट द्वारा लोको का चार्ज लेते समय सुनिश्चित करें कि सैंडिंग और वाइपर सिस्टम कार्यरत हैं।
2. जिन निर्धारित स्थानों पर सैंड/बालू भरी जाती है, यहां लोको पायलट अपने लोको में सूखी रेत भरवाना सुनिश्चित करें।
3. सैंडिंग सिस्टम का आवश्यकतानुसार ही प्रयोग करें, लगातार अत्यधिक प्रयोग करने से MR प्रेशर गिरने की समस्या हो सकती है।
4. MR टैंक से नियमित माइश्चर नमी ड्रेन करते रहें।

तेज चक्रवात आने पर सामान्य व सहायक नियम 2.11 के अनुसार निम्न प्रकार कार्यवाही करें।

सा.व स. नियम 2.11 (1) तूफान तेज हवा और धूल भरी आंधी के दौरान गाड़ियों के संचालन के लिए बरती जाने वाली सावधानियां-

i. जब मौसम विभाग से चक्रवात, तूफान या तेज हवा की पूर्व सूचना देते हुए चेतावनी संदेश प्राप्त हो जाए और/या इस बात की समुचित आशंका हो कि तेज तूफान आने वाला है जिससे यात्रियों, गाड़ियों आदि की संरक्षा खतरे में पड़ सकती है तो स्टेशन मास्टर, जब तक कि तूफान थम ना जाए और वह गाड़ियों के संचालन को निरापद ना समझे, गाड़ी के गार्ड और लोको पायलट से परामर्श करके गाड़ी की रोक देगा और उसके स्टेशन पर आने वाली गाड़ी को लाइन क्लियर देने से भी मना कर देगा।

ii. यदि कोई चलती हुई गाड़ी ऐसे चक्रवात, तूफान या तेज हवा में फंस जाए जिसकी गति लोको पायलट की राय में इतनी तेज हो कि उससे गाड़ी की संरक्षा खतरे में पड़ सकती हो तो वह अपनी गाड़ी की गति को तत्काल नियंत्रित करेगा और गाड़ी को पहले सुविधाजनक स्थान पर रोक देगा तथा यथासंभव यह ध्यान रखेगा कि गाड़ी तीव्र मोड़ों, ऊंचे तटबंधों और पुलों (इसमें उनके पहुंच मार्ग शामिल है) पर न रोकी जाए। गति को नियंत्रित करते समय और गाड़ी को रोकते समय लोको पायलट अपनी गाड़ी बड़ी सावधानी से और बिना झटके से रोकेगा। वह गाड़ी को गार्ड के परामर्श से तभी पुनः चलाएगा जब चक्रवात, तूफान या तेज हवा थम जाए और आगे बढ़ना निरापद समझा जाए।

iii. गार्ड तथा लोको पायलट गाड़ी में यात्रा कर रहे रेल कर्मचारियों के सहयोग से यह देखने का प्रयास करेंगे कि यात्रियों द्वारा सवारी डिब्बे के दरवाजे और खिड़कियां खुले रखे जाते हैं ताकि उनसे होकर तेज हवा निर्बाध रूप से गुजर सके।

iv. लंबी अवधि के भयंकर धूल भरे तूफान के मामले में, जब रेल की सतह पर धूल रेल की ऊंचाई तक पहुंचने की संभावना हो तो सिविल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा ट्रैक की पेट्रोलिंग शुरू कर देना चाहिए। गाड़ी के लोको पायलट द्वारा धूल के एकत्रित होने की जानकारी होने पर वह ऐसी प्रतिबंधित गति से चलेगा कि वह रेल के बगल में एकत्रित पुल की स्थिति को जान सके। यदि कोई असुरक्षित स्थिति पाई जाती है तो वह अगले स्टेशन को सूचित करेगा।

लाइन पर पानी आने की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही करें।

क्र.सं.	पानी का स्तर	इलेक्ट्रिक लोको	डीजल लोको
1	रेल लेवल तक या नीचे पानी हो	सामान्य सेक्शनल गति	सामान्य सेक्शनल गति
2	रेल लेवल के ऊपर 75mm (3") तक पानी	15 km/h	08 km/h से अधिक नहीं
3	रेल लेवल के ऊपर 75 m.m (3") से अधिक परन्तु 100m.m.(4") तक पानी हो	08 km/h से अधिक नहीं	08 km/h से अधिक नहीं
4	रेल लेवल के ऊपर 100m.m. (4") से अधिक पानी हो।	उसकी शक्ति से गाड़ी नहीं चलाई जाएगी यदि जरूरी हो तो डीजल इंजन की मदद से खींचा जाएगा।	यदि पानी का स्तर 100m.m. (4") से और बढ़ने की संभावना हो तो इंजन को यथासंभव सुरक्षित स्थान पर ले जाने के प्रयास किए जाये

गाड़ी संचालन के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतें और यदि इन स्थानों पर कोई असाधारण झटका आए तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी स्टेशन को नियमों के अनुसार देवें।

साइन ऑफ होते समय unusual register एवं cms पर भी दर्ज करें।

सभी मु. लोको निरीक्षकों को इसमें निहित निर्देशों के अलावा इससे संबंधित जी एंड एसआर, ऑपरेटिंग और एसीटीएम के अन्य निर्देशों को भी क्रू को काउंसलिंग करें।

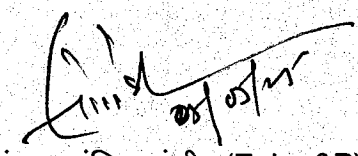

वरि. मंडल यांत्रिक इंजी. (Enhm&P)
उ.प. रेलवे, जोधपुर

प्रतिलिपि- अपर मंडल रेल प्रबन्धक, सादर सूचनार्थ
स.म.या.इंजी. (शक्ति), सूचनार्थ